न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला–_____राँची...................., दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–..........11.....................सन्–...2020–21.......... ।

वाद का प्रकार–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद

अर्जीकार–सुराधा कुमारी बनाम प्रतिपक्षी–अंचल अधिकारी, बुण्डू।

आदेश

07.09.2020

अपीलार्थी–सुराधा कुमारी, पति–युधिष्ठिर महतो, सा०–बिहाईंड टेंडर्स हार्ट, परमार्थ नगर तुपुदाना, राँची जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन देकर अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–434 R27/2018-2019/बुण्डू में दिनांक–14/04/2019 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
ताऊ	बुण्डू	0027	287	1598	05 डिसमील

चौहदी– उ०–भरत महतो, द०–सहायक रास्ता,
पू०–विक्रेतागण नीज, प०–विक्रेतागण नीज।

अपीलार्थी द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। नोटिस निर्गत कर अंचल अधिकारी, बुण्डू से मूल अभिलेख की माँग करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार अपीलार्थी ने उपरोक्त वर्णित भूमि को निबंधित विक्रय पट्टा सं०–315/308 दिनांक–28/07/2017, बुक नं०–1 भोलुम 33 पृष्ठ सं० 505 से 608 द्वारा क्रय किया है एवं उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि के नामांतरण हेतु अंचल कार्यालय, बुण्डू में ऑनलाईन आवेदन दिया था। दायर नामांतरण वाद में अपीलार्थी को सुधार हेतु समय एवं नोटिस दिए बिना सीधे उक्त नामांतरण वाद को अस्वीकृत कर दिया गया। एवं आदेश में उल्लेख किया गया कि नामांतरण आवेदन ऑनलाईन प्राप्त है, जिसमें राशि त्रुटिपूर्ण है. अतः नामांतरण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। जबकि प्रावधान के अनुसार दायर किये गये आवेदन में कोई भी लिखित गलत शब्द/दर को सुधार जा सकता है।

अपीलार्थी ने अनुरोध किया है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, बुण्डू को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

आदेश

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–434 R27/2018-2019/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार नामांतरण आवेदन ऑनलाइन प्राप्त है, जिसमें राशि त्रुटिपूर्ण है। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी से पुनः स्वच्छ आवेदन प्राप्त करते हुए उन्हें सुनकर नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

8/07/09

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

8/07/09

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।